(2)

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी – साधुराम जाट (आर0ए0एस0)

दावा संख्या	रजू दिनांक	निर्णय प्रार्थना पत्र दिनांक
136/18	06.06.2018	30.08.2018

अनुवान

1. सुशीला पुत्री रणसिंह पत्नी आशीष कुमार जाति जाट निवासी राजवाडा तहसील मुण्डावर हाल निवासी तिहाडा तहसील बावल जिला रेवाडी, हरियाणा।

प्रार्थीया

बनाम

1. रणसिंह पुत्र हरचंद जाति जाट निवासी राजवाडा तहसील मुण्डावर
2. राजस्थान सरकार जर्ये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर।
3. उप पंजीयक मुण्डावर।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र– अन्तर्गत धारा आदेश 39 नियम 1 व 2 धारा 212 राज0काश्त0अधि0

उपस्थितिः–

1. श्री अरूण पंडित वकील–प्रार्थीया
2. श्री शशिकांत शर्मा वकील–अप्रार्थी संख्या 1

–::निर्णय::–

दिनांकः– 30.08.2018

आज यह पत्रावली वास्ते सुनाये जाने आदेश पेश हुई। वकील उभयपक्षकारान उपस्थित आये। प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र का सारतः रहा कि विवादित आराजी हाल ख0नम्बरान 392/0.25 का 5/12 भाग व 385/0.13, 1326/358 रकबा 0.14 शालिम मिन प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 1 की दादालायी पैतृक आराजी है जो मिन

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner

प्रार्थीया के दादा हरचंद के कब्जेकाश्त खातेदारी की रही है एवं जर्ये विरासत प्राप्त हुई है। उक्त विवादित आराजी में मिन प्रार्थीया का अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्से में हक हकूक हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत बाई वर्थ निहित है एवं अप्रार्थी संख्या 1 की एकमात्र वारिस है। कोई अन्य और वारिस नहीं है। इसलिए उक्त विवादित आराजी में मिन प्रार्थीया का अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज आराजी में 1/2 भाग है। अप्रार्थी संख्या 1 आवारा व शराबी व जुआरी प्रवृत्ति का व्यक्ति है जो दीगर लोगों के बहकावे में आकर बिना पारिवारिक आवश्यकता के ही खानदानी पैतृक आराजी को मुंतकिल करना चाहता है। मिन प्रार्थीया ने मना किया तो आमादा लडाई झगडा हो गया तथा ऐलानिया तौर पर धमकी दी कि आराजी राजस्व रिकार्ड में मेरे नाम दर्ज है। दीगर लोगों को बेचान कर दूंगा। यदि वाकई में अप्रार्थी संख्या 1 अपने बेजा नापाक इरादों में कामयाब हो गया और विवादित आराजी को मुंतकिल कर दिया तो मिन प्रार्थीया को दादालायी की आराजी से महरूम होना पडेगा तथा भूखे मरने की नौबत आ जायेगी। जिससे मिन प्रार्थीया को नापूर्ति होने वाली क्षति होगी। चूंकि मिन प्रार्थीया के अधिकार कानून द्वारा रक्षित है। अपने अधिकारों के रक्षार्थ अप्रार्थीगण को हु0ई0दवामी से पाबंद कराने की अधिकारी है का निवेदन करते हुए उक्त विवादित आराजी को कही रहन बय हिबा इत्यादि से मुंतकिल ना करें, ना ही मिन प्रार्थीया को आराजी से बेदखल कर जबरन कब्जा करें रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें का निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद विधिवत् तलबी अप्रार्थी संख्या 1 ने जर्ये अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर अपना जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। मुताबिक जवाब प्रार्थना पत्र प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र के जिमनों को अस्वीकार करते हुए सारतः रहा कि प्रार्थीया ने नाकाबिल दस्तावेज व झूठा शपथ पत्र पेश किया है जिससे प्रार्थीया का केस प्रायमा फेसाई आयद वो साबित नही है। वर्णित आराजी मिन अप्रार्थी संख्या 1 स्वयं की पैदा कर्दा आराजी रही है। जिस आराजी में प्रार्थीया का मिन प्रतिवादी संख्या 1 के जीवनकाल में भी कोई हक व अधिकार नहीं है तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम संशोधित 2005 के अनुसार लडकियों का पिता की आराजी में कोई हक व अधिकार नहीं है तथा आराजी पैतृक नही होने के कारण प्रार्थीया के कोई हक व अधिकार नहीं है। प्रार्थीया के अलावा मिन अप्रार्थी संख्या 1 के एक पुत्र भी रहा है जो फौत हो चुका है तथा प्रार्थीया का विवाह मिन अप्रार्थी द्वारा दीगर लोगों से कर्जा लेकर किया था तथा अपने पुत्र के ईलाज में भी कर्जा लेकर ईलाज कराया था। पुत्र फौत हो गया है तथा वादीया ने उक्त वाद मिन प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र के फौत होने के तुरंत बाद मिथ्या तथ्यों पर पेश कर दिया। वादीया आराजी से गैर वास्ता व गैर काबिज है। वाद लाने का कोई हक व अधिकार नहीं है। मिन अप्रार्थी संख्या 1 शांतिपूर्वक अपनी खातेदारी की आराजी पर काबिजकाश्त हूं तथा आराजी मिन अप्रार्थी संख्या 1 की स्वयं की पैदाकर्दा है जिसमें प्रार्थीया का कोई हक व अधिकार नहीं है। जब प्रार्थीया आराजी से गैर वास्ता व गैर काबिज है तो प्रार्थीया

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner

को कोई नापूर्ति होने वाली क्षति ही होती है ना ही किसी भी प्रकार से मिन अप्रार्थी को हु0ई0दवामी से पाबंद कराने की अधिकारी ही है का निवेदन करते हुए प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र को मय हर्जा खर्चा खारिज कराने का निवेदन रहा।

वकील उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। दौराने वहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के जिमनों को दोहराते हुए विवादित आराजी दादालायी आराजी होना एवं अस्थायी निषेधाज्ञा के बाबत आदेश को मूल दावा के निर्णय तक संपूष्ट किये जाने का निवेदन किया। इसी प्रकार वकील अप्रार्थी ने प्रार्थीया के प्रार्थना पत्रों के जिमनों को अस्वीकार करते हुए अपने जवाब प्रार्थना पत्र के जिमनों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त विवादित आराजी अप्रार्थी संख्या 1 की स्वयं की पैदाकर्दा आराजी है एवं प्रार्थीया आराजी से गैर वास्ता व गैर काबिज है तथा गैर वास्ता व गैर काबिज को वाद लाने का कोई हक व अधिकार नहीं है ना ही गैर वास्ता व गैर काविज होने की स्थिति में प्रार्थीया को कोई भी नापूर्ति होने वाली क्षति ही होगी। ऐसी स्थिति में प्रार्थीया किसी भी प्रकार से मिन अप्रार्थी को हु0ई0दवामी से पाबंद कराने की अधिकारी नही है निवेदन करते हुए प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज किये जाने का निवेदन रहा।

वकील उभयपक्षकारान की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गई एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। दौराने बहस वकील प्रार्थी द्वारा विवादित आराजी दादालायी आराजी होने का कथन करते हुए एवं वकील अप्रार्थी द्वारा विवादित आराजी को स्वयं की पैदाकर्दा आराजी होकर प्रार्थीया का आराजी से गैर वास्ता व गैर काबिज होना तथा प्रार्थीया द्वारा विवादित आराजी के बाबत सम्पूर्ण विवादित आराजी को ही रहन बय इत्यादि से मुंतकिल ना करें, आदि आदि का अंकन कर अपने प्रार्थना पत्र के जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन के अंकन के अवलोकन एवं दादालायी आराजी होने के बाबत सुसगंत दस्तावेज पेश नही किये जाने की स्थिति में उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह न्यायालय प्रार्थीया के प्रथम दृष्टया प्रकरण के बाबत के बिन्दु को प्रार्थीया के पक्ष में साबित होना नहीं पाया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में साबित पाती है और जब प्रथम दृष्टया प्रकरण वाला बिन्दु ही विरूद्ध प्रार्थीया होकर अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में साबित पाया जाने की स्थिति में सुविधा का संतुलन वाला बिंदु भी प्रार्थीया के पक्ष में ना होकर अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में पाया जाता है और जब प्रथम दृष्टया प्रकरण का बिंदु एवं सुविधा का संतुलन दोनो ही बिंदु प्रार्थीया के विरूद्ध होकर अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में साबित पाये जाने की स्थिति में नापूर्ति होने वाली क्षति का बिन्दु को भी यह न्यायालय विरूद्ध प्रार्थीया होकर अप्रार्थी संख्या 1 के हक में साबित पाता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह न्यायालय प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र को खारिज योग्य पाता है।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner

5

–::आदेश::–

अतः यह न्यायालय प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र को खारिज योग्य पाये जाने की स्थिति में आराजी ख0न0 392, 385, 1326/358 वाके ग्राम राजवाडा तहसील मुण्डावर जिला अलवर के बाबत के प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाता है एवं पूर्व में जारी स्थगन आदेश दिनांक 06.06.2018 निरस्त किये जाते है।

यह निर्णय आज दिनांक 30.08.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से खुल्ले न्यायालय में सुनाया गया।

30/8/18

(साधुराम जाट)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर)

Scanned by CamScanner